

Presented by:



फौजदारी मामला: अदालत में क्या करें

(सुझाव एवं जानकारी)

(यह मामला कुवींस बेंच तथा मास्टर्स चैंबर्स में सुना जा सकता है)

आपका इस फौजदारी के सिलसिले में फिल्म में स्वागत है. आपको इंटरनेट पर इस मामले में और जानकारी मिल सकती है. फिल्म के अंत में हम आपको सूची देंगे जहाँ से आपको इस मामले में और जानकारी हासिल हो सकती है.

अगर आप फौजदारी के मामले में यहाँ आए हैं तो वो इसलिए की बैंक को देने वाली किशतों में पीछे है. अब बैंक आपको अदालत में ले कर आ रही है ताकि अपना पैसा वसूल कर सके.

मॉर्गेज क्या होती है?

मॉर्गेज यान बंधक एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज़ है जिस पर आपने बैंक से पैसे उधार लेते समय हस्ताक्षर किये थे.

काफी लोग घर खरीदते समय, जब उन्हें ज्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वह मॉर्गेज लेते हैं. कुछ लोग बैंक से पैसा उधार लेने की बजाये उस घर के पहले मालिक की मॉर्गेज को उतारने की ज़िम्मेवारी ले लेते हैं.

मॉर्गेज दो तरह की होती है:

- पारम्परिक मॉर्गेज एवं
- बीमा मॉर्गेज

बीमा मॉर्गेज क्या होती है?

आपके पास इस तरह की मॉर्गेज तब हो सकती है जब आपने घर की कीमत से २०% कम पैसे दिए हो. अगर आपके पास बीमा मॉर्गेज है जो की अब आप नहीं चूकअ सकते तो बैंक आपके घर को बेच कर अपना पैसा वसूल करने की कोशिश कर सकती है.

बीमा मॉर्गेज के साथ, अगर आपका घर बैंक को दिए जाने वाले पैसों से कम बिकता है तो आप बाकी के पैसे चुकाने के लिए जाती तोर पर ज़िम्मेवार होंगे.

आप जाती तोर पर तब भी ज़िम्मेवार होंगे अगर आप आप अपना घर बेच देते हैं और यह फैसला करते हैं की जिसने आपका घर खरीदा है अब वह आपकी मॉर्गेज की किशत चुकाए और वो नहीं चुकाता. ऐसे मामले में बैंक यह चाहती है की, जिसने पहले उनसे मॉर्गेज ली है वो ही बाकि के बचे हुए पैसे लोटाये.

पारम्परिक मॉर्गेज क्या होती है?

यह वो मॉर्गेज है जहाँ पर आपने घर की कीमत से २०% ज्यादा अग्रिम भुगतान किया हो. अगर आपके पैसे पारम्परिक मॉर्गेज है और अब किशतें नहीं चुका पा रहे तब बैंक आपके घर को यान तो कब्जे में ले सकती है यान फिर बेच कर अपना पैसा इकठ्ठा कर सकती है. लेकिन, बीमा मॉर्गेज की तरह, अगर आपका घर बैंक को दिए जाने वालों पैसों से कम बिकता है तो इस समय आप जाती तोर पर बाकी पैसे वापिस करने में ज़िम्मेवार नहीं होंगे.

इसका अर्थ यह है जब बैंक ने आपका घर बेच दिया यान कब्जा कर लिया तो आपको बैंक को कोई भी पैसा वापिस नहीं करना.

क्या होता है जब आप अपनी बैंक की मॉर्गेज की किश्त चुकाने में पीछे पड़ जाते हैं?

जब आप अपनी किश्तें चुकाने में पीछे पड़ जाते हो तो बैंक का वकील आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है. इस दावा विवरण में यह लिखा होता है की बैंक अपना पैसा वापिस लेने के लिए आप के खिलाफ मुकदमा कर रही है. अगर आप किश्तें नहीं चुका सकते तो अदालत आपको कुछ समय दे सकती है यान तो किश्तें चुकाने में यान फिर घर बेचने के लिए. ऐसे आर्डर को रेडिमशन आर्डर कहते हैं.

रेडेम्पशन आर्डर क्या होता है?

रेडेम्पशन का अर्थ है छुटकारा दिलाना. यह आर्डर आपको समय दिलवाता है की आप बकाया चुका सकें यान फिर घर बेच सकें. यह समय अदालत आपकी चूकि हुई किश्तों एवं आपकी जाती ज़िन्दगी को ध्यान में रख कर देता है. जज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय दे सकता है ताकि आप किश्तें चुका सकें यान फिर घर बेच सकें.

इस समय के दौरान, आप अपने घर में रह सकते हैं. अगर आप इस समय के दौरान, किश्तें नहीं चुका पाते, यान घर नहीं बेच सकते तो समय पूरा समय होने पर बैंक आपके घर पर कब्जा कर सकती है यान फिर बेच सकती है. ऐसी स्थिति में आपको घर से जाना पड़ेगा.

क्या होता है अगर आप किश्तों की भरपाई कर दे ?

अगर आप जज द्वारा निर्धारित समय में किश्तें चुका देते हैं, तो आपके खिलाफ शुरू हुई कानूनी कारवाई खत्म हो जाएगी. मगर, यह ध्यान रखें की अब आपकी कोई किश्त पीछे न पड़े नहीं तो बैंक आपको फिर से अदालत में ले जायगी.

क्या होता है अगर आप निर्धारित समय में किश्तें नहीं चुका सकते?

अगर आप बैंक को पैसे वापिस नहीं करते, बैंक जज से आपके घर को बेचने यान बैंक खुद खरीदने को कह सकता है. अगर बैंक आपके घर को खरीदने यान बेचने के लिए राजी हो जाती है तो आपके पास आम तौर पर घर खाली करने के लिए 30 दिन का समय होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो और समय की मांग कर सकते हैं.

याद रखें, बीमा मॉर्गेज के सिलसिले में, अगर बैंक के घर बेच देने के बाद भी आपने बैंक के पैसे चुकाने है, तो बैंक अपना पैसा लेने के लिए आप पर मुकदमा दायर कर सकती है.

यह फिल्म देखने के लिए आपका शुक्रिया.

Supported by:

Alberta **LAW**
FOUNDATION

Government
of Alberta ■

 **alberta**
law
libraries